संयुक्त निदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग, उ0प्र0 के मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों की माह जुलाई 2016 की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांकः 23 जुलाई 2016 समयः अपरान्ह 11:00 बजे

स्थानः सभाकक्ष मत्स्य चेतना केन्द्र,
मत्स्य निदेशालय, लखनऊ।

दिनांक 23 जुलाई 2016 को अपरान्ह 11:00 बजे मत्स्य निदेशालय स्थित मत्स्य चेतना केन्द्र के सभागार में बैठक सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक में उपनिदेशक मत्स्य इलाहाबाद श्री के0डब्ल्यू0वारसी एवं उपनिदेशक मत्स्य फैजाबाद/देवीपाटन श्री अतुल्य कुमार यादव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औरैया को छोड़कर शेष समस्त अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

माह जुलाई 2016 तक विभिन्न विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गयी जिससे सम्बन्धित बिन्दुवार विवरण निम्नलिखित हैः–

1– ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज (नीली क्रान्ति):–

- भारत सरकार द्वारा मत्स्य विभाग की सभी केन्द्रपोषित योजनाओं को अब ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से एक ही योजना के अर्न्तगत संचालित किया जायेगा जो प्रोजेक्ट बेस स्कीम होगी। भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजनान्तर्गत मत्स्य से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का संचालन एन0एफ0डी0बी0 की गाईड लाईन्स के अनुसार ही किया जायेगा। उक्त के संबंध में समस्त मण्डलीय विभागीय अधिकारियों को दिनांक 12.07.2016 की बैठक में आवष्यक गाइड लाइन्स की प्रतियॉ पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं तथा विभागीय वेबसाइट पर भी इसे अपलोड किया गया है।

- भारत सरकार की बैठक दिनांक 18.07.16 में यह निर्णय लिया गया कि एफ0एफ0डी0ए0 की योजना को समाप्त कर दिया गया है परन्तु पुराने अपूर्ण प्रोजेक्ट पूर्व की भांति पूर्ण किये जायेगे। जबतक कोई नये दिशा निर्देश नहीं आ जाते तब तक एफ0एफ0डी0ए0 अन्तर्गत नये तालाबों को सब्सिडी नहीं दी जायेगी। केवल विगत वर्ष में स्वीकृत प्रोजेक्ट के सापेक्ष ही नियमानुसार सब्सिडी दी जाएगी।

- ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण, तालाब सुधार, फिशफीड मिल आदि लाभार्थी परक परियोजनाओं हेतु सम्पूर्ण परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) बनाना आवष्यक है जिसमें पूर्व में जारी एन0एफ0डी0बी0 के समस्त शर्तो का पालन किया जायेगा। 0.2 हेक्टेयर से 2.00 हेक्टेयर तक के तालाब सुधार हेतु 50 प्रतिशत परियोजना अंश तथा शेष 50 प्रतिशत लाभार्थी अंश का प्रस्ताव शासन के निर्णय के अनुसार बनाया जायेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर

मद में निर्माण लागत का प्राक्कलन सम्बन्धित जनपद में लागू पी0डब्ल्यू0डी0 के वर्तमान अनुमोदित शेड्यूल दर (SOR) अनुसार ही बनाया जाएगा जिसकी प्रमाणित प्रति भी अभिलेखार्थ लगानी होगी।

- 2 हे0 के नये तालाब निमार्ण हेतु रू0 14 लाख, 2 हे0 की हैचरी निर्माण हेतु रू0 25 लाख, मत्स्य बीज सम्वर्द्धन हेतु रू0 6 लाख की अधिकतम धनराशि होगी जिसमें 50 प्रतिशत परियोजना अंश तथा शेष 50 प्रतिशत लाभार्थी अंश अथवा लाभार्थी/राज्यांश का प्रस्ताव शासन के निर्णय के अनुसार बनाया जायेगा।

- रिवर रैचिंग जो एक्वाकल्चर का अंग है, में धनराशि को 2 लाख से बढ़ाकर रू0 4 लाख किया गया है। इसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत राज्यांश एवं 50 प्रतिशत केन्द्रांश होगा।

- डाटाबेस इन्फारमेशन आफ द ज्योग्राफिकल सिस्टम, जो सेन्ट्रल योजना के रूप में संचालित की जायेगी जिसपर भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी।

- भारत सरकार के स्तर से टेन्टेटिव केन्द्रीय सहायता के एलोकेशन के अनुसार मछुआ आवास हेतु धनराशि रू0 4 करोड़, तालाब एवं जलाशय हेतु रू0 10 करोड़ एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु रू0 6 करोड़ का फॉट उत्तर प्रदेश को प्राविधान किया गया है जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित किये जाने हैं।

- भारत सरकार द्वारा यह कहा गया है कि राज्य सरकार को इस बात का सर्टिफिकेट देना होगा कि प्रस्तावित योजनाओं के सम्बन्ध में मैचिंग ग्रान्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा अभी यह तय नहीं किया गया है कि धनराशि सीधे नोडल एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी या डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थी को दी जायेगी।

  भारत सरकार की उक्त गाईड लाईन 2020 तक प्रभावी रहेगी।

- भारत सरकार द्वारा मछुआ आवास निमार्ण में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया पूर्व में 10 मछुआ आवासों के समूह के स्थान पर अब 20 मछुआ आवास बनाने का निर्णय लिया गया है तथा प्लिन्थ एरिया में भी बदलाव किया गया है। मछुआ आवास की धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत रू0–0.75 लाख से बढ़ाकर रू0 1.20 लाख कर दिया गया है। अतः उक्त संशोधन मात्र केन्द्रांश तक ही प्रभावी है। राज्य सरकार द्वारा लोहिया आवास के अनुरूप मछुआ आवास की इकाई लागत रू0–3.05 लाख अपरिवर्तित है।

  दिनांक 12.07.16 की ब्लू रिवोल्यूशन की बैठक में उपनिदेशकों को जानकारियों से अवगत कराते हुए अपेक्षा की गयी थी कि 15.07.16 तक प्रस्ताव/प्रोजेक्ट तैयार कर निदेशालय को अवष्य प्रेषित करें परन्तु कतिपय जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराये गये जो उचित नहीं है। भारत सरकार द्वारा नीली क्रान्ति योजना पर सघन समीक्षा की जा रही है। इसलिए किसी भी प्रकार का विलम्ब क्षम्य नहीं होगा। इस हेतु निर्देशित किया गया कि दिनांक 25.07.16 तक प्रोजेक्ट तैयार कर प्रत्येक दशा में निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें जिससे प्राप्त प्रस्तावों को 26.07.16 तक एन0एफ0डी0बी0 को प्रेषित किये जा सके।

सभी जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों द्वारा समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी। जहां पूर्णकालिक जनपदीय अधिकारी नहीं हैं वहां मण्डलीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे प्रभारी के सहयोग से कार्यवाही सुनिष्चित करायें।

2– विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादनः–

वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु आवष्यक है कि 15 अगस्त 2016 तक अनिवार्य रूप से निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष्य स्पॉन का संचय सुनिश्चित कर लिया जाये। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जनपदों को धनराशि का आबंटन किया जा चुका है अतः आबंटित धनराशि के सापेक्ष्य व्यय की स्थिति से तत्काल निदेशालय को अवगत कराया जाये और उक्त का मिलान कोषवाणी से भी सुनिष्चित किया जाये।

3– समस्त स्त्रोतों से मत्स्य बीज उत्पादन–वितरणः–

वर्ष 2016–17 हेतु समस्त स्त्रोंतो से मत्स्य बीज वितरण के लक्ष्य आपको संसूचित किये जा चुके हैं। अतः क्रमिक लक्ष्यानुसार मदवार मत्स्य बीज उत्पादन वितरण सुनिष्चित किया जाये एवं प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक प्रगति सूचना से निदेशालय को अवगत कराया जाये।

4– डा0राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनाः–

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु कुल 283 लक्षित ग्रामों के सापेक्ष 282 ग्रामों के संतृप्तीकरण कराया गया, जबकि जनपद लखीमपुर खीरी के एक अवशेष ग्राम के संतृप्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु विभागीय जनपदीय अधिकारी को निर्देशित किया गया।

5– सहकारिता सम्बन्धीः–

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मत्स्य जीवी सहकारी संघ को एवं जिला सहकारी मत्स्य विकास विपणन संघ को जनपद एवं मण्डल स्तर से ऋण प्राप्त कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये तथा प्रत्येक जनपद एवं मण्डल से कम से कम पांच पात्र इच्छुक समितियों का प्रस्ताव पूर्व प्रेषित निर्धारित प्रारूप पर समस्त निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्ताव प्रेषित किये जाये तथा वस्तु स्थिति से निदेशालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ स्वयं तथा अपनी समस्त सदस्य समितियों का एन0सी0डी0सी0 से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करने हेतु प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित किया गया।

6– ग्राम समाज के तालाबों का पटटाः–

राजस्व परिषद के स्तर से वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम समाज के तालाबों के पटटा आबंटन का वार्षिक लक्ष्य अनन्तिम रूप से 6635 हे0 का निर्धारण किया गया है जिसके सापेक्ष्य माह जून 2016 तक 593.04 हे0 की उपलब्धि की जा चुकी है जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष्य 8.94 प्रतिशत है। प्रगति असंतोषजनक है, इसमें अपेक्षित प्रगति लाये जाने के निर्देश सम्बन्धित जनपदों को दिये गये।

7– तालाब सुधार /निर्माण कार्यपूर्ण :–

वर्ष 2016–17 के लक्ष्य 5000 हे0 के सापेक्ष्य माह जून 2016 तक 1412.69 हे0 का तालाब सुधार/निर्माण कार्यपूर्ण की प्रगति सुनिष्चित हुई है जो वार्षिक लक्ष्य का 28.25 प्रतिशत् है। मासान्त तक 389.69 लाख का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया। लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिष्चित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये।

8– जलाशयों की सूचनाः–

मत्स्य विभाग के श्रेणी एक, दो, तीन एवं चार के कियाशील जलाशयों की संख्या 356 है जिसके सापेक्ष्य 319 जलाशयों की नीलाम की जा चुकी है शेष 37 जलाशय नीलामी हेतु अवशेष है जिसके संबंध में सम्बन्धित उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी जलाशयों की नीलामी की कार्यवाही सुनिष्चित करें। शासन को निदेशक मत्स्य के अभाव में लम्बित सन्दर्भों के निस्तारण हेतु सन्दर्भित किया जायेगा।

9– आडिट सम्बन्धीः–

पर्याप्त पत्राचार के बावजूद भी अनुपालन के अभाव में शासन द्वारा निर्धारित बैठकें नहीं हो पा रही है जिससे निस्तारण की प्रगति लगभग शून्य है इस हेतु सभी उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र आडिट पैरों का निस्तारण उपलब्ध करायें।

अन्य निर्देश–

- मत्स्य प्रक्षेत्र विशेषज्ञ, मुख्यालय को तत्काल निदेशालय के जीर्णोद्धार हेतु प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- समस्त उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने मंडल में तैनात समस्त कार्मिकों का विवरण जैसे कुल पद, रिक्त पद, दिनांक 31.12.2016 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के नाम व संख्या निदेशालय को उपलब्ध करायें और प्रभारी स्थापना, मुख्यालय समस्त सूचनाओं को संकलित कर शासन को तत्काल अवगत कराये।
- समस्त उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया कि विभागीय योजनाओं हेतु लाभार्थी चयन के समय सर्तकता बरते कि कहीं कोई डुप्लीकेसी न होने पाये।
- मण्डल के कार्यालयों पर एक्वेरियम सेण्टर बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- नाबार्ड को गाईड लाइन्स भेजी जायें।
- लाभार्थियों का खाता संख्या, आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर अवष्य लें।
- समस्त उ0नि0म0/स0नि0म0 को लोहिया ग्राम की सूचना समय से निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
- समस्त उ0नि0म0/स0नि0म0 को इन्टरनेट पर भारत सरकार की वेवसाईट नियमित रूप से चैक करने के निर्देश दिये गये।
- सीयूजी एवं इन्टरनेट हेतु डाटा का भी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

गहन विचार–विमर्श के उपरान्त धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।